भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

कार्यालय आदेश संख्या 279/2024 दिनांक: 29.08.2024

Office Order No. 279/2024 Dated: 29.08.2024

सीप्ज़ में आइसगेट के कार्यान्वयन के कारण, सुचारू संचालन और एसईजेड ऑनलाइन से आइसगेट में निर्बाध संक्रमण के लिए सीमा शुल्क पर संपूर्ण कार्यबल को एक्जिम संचालन के लिए तैनात करने की आवश्यकता है। यह कदम व्यापार सुविधा उपाय के रूप में और अन्य सभी एसईजेड क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के अनुरूप उठाया जा रहा है। इससे यूनिट धारकों से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के लिए एसईजेड में सभी अधिकारियों के कौशल को मजबूत किया जा सकेगा और इस प्रकार भविष्य में बढ़े हुए कार्यभार को संभालने के लिए एक मजबूत कार्यबल तैयार होगा।

2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि मूल्यांकनकर्ता और अधीक्षक ग्रेड के सभी प्राधिकृत अधिकारी समान कार्य करेंगे तथा निवारक अधिकारी और परीक्षक ग्रेड के प्राधिकृत अधिकारियों को भी उनके कार्य आवंटन के लिए समान स्तर पर रखा जाएगा।

3. सीप्ज़ के सभी सीमा शुल्क अधिकारियों का विस्तृत कार्य आवंटन आदेश विकास आयुक्त के अनुमोदन से 5 कार्य दिवसों के भीतर विनिर्दिष्ट अधिकारी/ सीप्ज़ द्वारा जारी किया जाएगा।

4. सभी 9 प्राधिकृत अधिकारी (3 मूल्यांकनकर्ता और 6 अधीक्षक, सीप्ज़-सेज़ में) तत्काल प्रभाव से एलईओ के सृजन से संबंधित कार्य देखेंगे।

Due to implementation of ICEGATE at SEEPZ, there is a need to deploy the whole workforce at Customs for EXIM operations for smooth operations and seamless transition from SEZ online to ICEGATE. This step is being taken as a trade facilitation measure and in conformity with the procedures in all other SEZ Zones. This will result in strengthening the skills of all officers in SEZs for all type of work pertaining to the unit holders and thus creating a stronger workforce to handle even the increased workload in future.

2. Accordingly, it is decided that all Authorised officers in grade of Appraisers and Superintendents will attend similar work and Authorised officers in the grade of Preventive Officers and Examiners will also be placed at par for their work allocation.

3. A detailed work allocation order of all Customs officers at SEEPZ will be issued by SO/SEEPZ within 5 working days with the approval of Development Commissioner.

4. All 9 Authorised Officers (3 Appraisers and 6 Superintendents) at SEEPZ-SEZ will attend the work related to generation of LEOs with immediate effect.

Contd.....2/-

5. सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भी उपरोक्त निर्देशों का पालन करना चाहिए और जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक कार्य आवंटन आदेश जारी करना चाहिए। ऐसे आवंटन आदेशों की प्रतिलिपि तुरंत इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

5. All other Specified Officers under the jurisdiction of SEEPZ-SEZ should also follow the above directions and issue necessary work allocation orders wherever necessary. Copy of such allocation orders should be forwarded to this office immediately.

6. यह विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

6. This issues with the approval of the Development Commissioner.

29/08/2024

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर/ Dr. Prasad Varwantkar)
उप विकास आयुक्त/ Dy. Development Commissioner
सीप्ज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ

F.No. :SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/Vol-V/ 10551

प्रति/ To,

1. सभी अधिकारी/कर्मचारी /All Officers/Officials
2. विआका/संविआका/उविआका/ विअ / DCO/JDCO/DDCO/SO
3. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेज़/ All SEZs under the Jurisdiction of Zonal Development Commissioner, SEEPZ-SEZ
4. कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर/Office Order file/register.
5. सूचना पट्ट/ Notice Board